



क्या महिला आरक्षण राजनीति से चुनावों में लाभ होगा भाजपा को

चुनावी विश्लेषकों की मानें तो ऐसी संभावना बहुत ही कम है

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-
नई दिल्ली, 19 सितम्बर ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही कि महिला आरक्षण राजनीति आगामी विधानसभा चुनावों तथा उसके बाद अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा के पक्ष में अपना असर दिखायेगी हिमाचल प्रदेश के कार्नाटक में चुनावी हार के बाद वाराणसी नरेन्द्र मोदी की लोकसभा चुनावी में आ रही कमी को लेकर बन रही धारणा से चिंतित भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विभिन्न प्रकार से जननात परवर्ती की लोकशिका कर रहा है-उदाहरण के लिये, भारत बनाम इंडिया बहस छेड़ना तथा समान आरामक संहिता (युनिफॉर्म सिविल कोड) का मुद्दा उठाना आदि। ऐसे प्रतीत होता है कि 2024 के चुनावों से सात महां पूर्व, महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करने की निर्णय से आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक और अनुचित लाभ लेने की कोशिश है।

जहां इस विधेयक को पेश किये जाने के निर्णय की भाजपा सरकार की पूरी योजना अगले चार दिनों में उड़ागर हो जाने की अपील है, वहां इस समय

- सूत्रों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्र.मंत्री मोदी की लोकप्रियता के लिये ग्राफ को रोकने के लिए भाजपा नित नए शाफूके छोड़ रही है, जैसे भारत बनाम इंडिया आदि।
- एक सवाल यह भी है कि, क्या मोदी सरकार पूरी तैयारी के बिना ही वाहवाही लूटने के लिए बिल ले आई है।
- क्योंकि लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, तब ही दिया जा सकता है जब पहले जनगणना हो, जो 2026 में होनी है और फिर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो।
- हालांकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत व राज्यसभा में पर्याप्त समर्थन के आधार पर सरकार यह बिल पारित करवा लेती पर इसका क्रियान्वयन चार साल बाद ही हो सकेगा।

कई प्रश्न भी पैदा हो रहे हैं यह विधेयक बिना काटे जाने का आरोप नहीं लगेगा? मोदी सरकार के अतिम वर्ष में ही क्यों लोकसभा में महिला आरक्षण पेश किया गया है? कोटा के अंदर कोटा विधेयक का यथार्थतः पारित होना के सिद्धांत के ढाँचे के अन्तर्गत, जनगणना प्रक्रिया के पूरे होने (2026 ओं.जी.सी. को शामिल किये जाने की में) के बाद में संभव हो सकता है। जनगणना का पारित होना इसलिये ऐसे निषेधों का बाद ही चुनाव क्षेत्रों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि, क्या परिसीमन का कार्य सम्पन्न होगा? मोदी सरकार पर समय से काफी पहले लोकसभा में भाजपा का जबरदस्त

बहुमत होने तथा राज्यसभा में भी पर्याप्त संख्यावल होने से ऐसी संभावना है कि, सरकार सासद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने में साफल हो जायेगा। लोकन यदि वह चार साल या इससे भी अधिक समय बाद ही लागू हो पाएगा, तो इस मुद्दे से आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को सीमित मात्रा में ही लाभ मिल पायेगा।

सच. रामानुज शर्मा 32 साल पहले, आई.जी. (जेल) के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के दिन उन्हें 17 साल पूराने मामले में चाजशीट देकर पेंशन परिलाभ रोक दिए गए थे। हाइकोर्ट में 24 साल चले इस केस में अंततः सच. शर्मा के सभी पेंशन परिलाभ मय ब्याज लौटाने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस अनुप ठंड ने यह आदेश रामानुज शर्मा के उत्तराधिकारी राम मधुकर शर्मा व अन्य की आधिका पर दिए। याचिकाकाती की ओर से अदालत के बताया गया कि, रामानुज शर्मा तीस जून, 1991 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें 17 साल पूर्व एक मामले में 29 जून, 1991 को चाजशीट दी गई। जिससे उनके पेंशन परिलाभ रुक गए। बहाने की ओर से अदालत नहीं हो रही है कि वह महिला सशक्तीकरण के पुरुजोर समर्थक हैं। उनके लिए दलगत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'महिला आरक्षण विधेयक को बिना शर्त समर्थन दें'

नई दिल्ली, 18 सितम्बर (बाती)। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक को संसदीय समर्थन देने की मांग कर रही है और सरकार इस विधेयक को लेकर आती है, तो पार्टी

- कांग्रेस के प्रवक्ता ने नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया है कि, यह विधेयक कांग्रेस व यू.पी.ए. सरकार के सहयोगी दलों की जीत है। ज्ञातव्य है कि, यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ था।
- कांग्रेस यह दावा करने में कोई कोर कर कर सर नहीं छोड़ रही है कि, यह बिल "हमारा" है।

पुराने संसद भवन को अलविदा कहकर को श्रेय देने के मामले से सदैव कतराते प्रधानमंत्री मोदी सासदों को नये भवन हैं, ने शैशी बधारते हुये, इस कदम को में ले गये, जहां उन्होंने कहा- "इश्वर ने देश के लोकान्तरी विद्यार्थी को जीत दिया है। आज जनगणना का पारित होना वार्षर बत्थ तथा जबकि वह है कि, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शक्ति के लिये दरवाजे खोले।"

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये चुना है। आज विधेयक के लिये इतिहास लिखेंगे— आइये। नारी शक्ति वन्दन के लिये दरवाजे खोले।"

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के लिये जाने के सरकार के निर्णय की घोषणा कर की।

प्रधानमंत्री, जो किसी अन्य व्यक्ति

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, राज्यसभा तथा

राज्यविधानसभाओं में 33 प्रतिशत

विधेयक के